संख्या–भा0स0(पीजी) 63 / 43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2010

विषय:– विभागीय जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों तथा राज्य सूचना आयुक्तों के नाम विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) में किये गये प्राविधान के अनुसार सभी लोक प्राधिकरण अपने संगठन की विशिष्टयां, कार्य एवं कर्तब्य, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण युक्ति युक्त समय के अन्दर एवं अपने श्रोतों के उपलब्धता के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं अन्य प्रणालियों पर समस्त देश में नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किये जाने योग्य बनाएगा। अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के प्राविधानों के अनुसार 16 बिन्दुओं पर सूचना विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किये जाने तथा अद्यतन किये जाने के निर्देश शासन द्वारा पूर्व में दिये गये हैं।

2– आपसे अनुरोध है कि सभी लोक प्राधिकारण अपने जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम तथा उनके पतो के विवरण अपनी विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं अद्यतन रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।